2003, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 30th July, 2003."

Madam, I lay a copy of the Bill on the Table.

THE RAILWAYS (AMENDMENT) BILL, 2003

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we have to take up the Railways (Amendement) Bill, 2003. It is a very small Bill relating to the increase of fine from Rs. 50 to Rs. 250. We have to finish it in one hour.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): Madam, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Railways Act, 1989, be taken into consideration."

मैडम, जैसा आपने अभी कहा है कि यह बहुत छोटा सा प्रस्ताव है हमारा। जो लोग बिना प्रोपर टिकट के या बिना टिकट के यात्रा करते हैं उनको रोकने के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रेलवे ऐक्ट की धारा 137 व 138 मे प्रावधान किए गए हैं। उसमे जो एक्सेस चार्ज किया जाता है बिना प्रोपर टिकट के या बिना टिकट जो लोग पकड़े जाते हैं तो फेयर के अलावा उसके बराबर का फेयर एक्सेस चार्ज के रूप मे लिया जाता है या 50 रुपए दोनों में से जो ज्यादा हो। मेरा प्रस्ताव है कि 50 रुपए की जगह पर 250 रुपए कर दिया जाए यानी दोनो मे से जो ज्यादा हो बिना टिकट यात्रा करने पर या बिना प्रोपर टिकट के यात्रा करने पर यह उनसे वसूला जाए। यह एक डिटरेंट के रूप में काम करेगा। 1999 में 25 फरवरी को हमने रेल बजट प्रस्तुत किया था। उसमे इस बात का उल्लेख किया था। तो एक तरह से संसद मे दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए यह विधेयक लाया गया है और दूसरी तरफ बिना टिकट या बिना प्रोपर टिकट के यात्रा करने को और सख्ती से रोकने के लिए यह उपाय किया गया है। इससे जो यात्री टिकट लेकर चलते हैं उनको फायदा होगा और जो अनियमित ढंग से यात्रा करते हैं उसकी रोकथाम मे कुछ मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से छोटा सा प्रावधान है, यानी जो चार्ज है उसको 50 रुपए से बढ़ा कर 250 रुपए करने का प्रस्ताव है। मैं आग्रह करता हूं कि इसको पास किया जाए।

The question was proposed

उपसभापति : जो लोग रेल की छतों पर बैठ कर जाते हैं उनको भी। ...**(व्यवधान)**... I think, the Members can speak on Railways so long as there are Railway

lines in the country. But, as far as this Bill is concerned, there is a limited scope. सोज साहब, आप कृपया अपना सजेशन दे दीजिए कि 250 रुपए होना चाहिए या और ज्यादा होना चाहिए।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu and Kashmir): Madam Deputy Chairperson, there is no scope for a longer speech on this Bill. But I have to say a couple of things. Luckily, today, the hon. Minster has to give some clarifications. Some Members would get some time, then. But, here I wanted to point out that the hon. Minister has suggested a penalty of Rs. 250 for the ticket-less passengers. But I would say it should be Rs. 500 or the fare of the distance, intended to be travelled by the offender. Suppose a ticket-less person wants to go to Chennai, the natural justice that this Bill could provide is, he should be charged the fare for Chennai or Rs. 500, whichever is more. Or, if the hon. Minister wants to be very sympathetic, it could be 'whichever is less'. But the 'distance intended to be covered by the offender' should be the barometer for fixing the penalty. Despite the fact that I rate the hon. Minister as a capable person, I would like to share my feelings with the House that the Railway Department is in a shambles. There are many measures which the hon. Minister cannot take up because there is no money. Railways have substantial money, but still they want more money for security purpose, for providing a safe journey to its passengers, and for modernization. This Department has substantial resources, but even with all those resources, they are short of funds. Therefore, modernization has not taken place at the pace I wanted, at the pace hon. Members wanted. So, modernization, ensuring perfect security and the safety of passengers is the need of the hour. Madam, I can share my feelings with you. People are, now, scared to travel by train. People, who can afford to travel by air, travel by air, but the poor people are compelled to travel by train. But the question of railway safety is a very broad one, which is before the people of our country. Those questions will definitely come up. Therefore, I would like, the hon. Minister to raise resources to make railway travel safe and secure. At the same time he should also think in terms of modernizing Railways. Country is crying for that. If there is an offender, there is no question of showing any sympathy towards him or her. Whosoever travels by train, he must feel secured; he must feel comfortable. When you travel by train, you will find there are no tissue papers available even in the AC (I Class); there is no soap. Even a hanger to hang your clothes would be provided only when you will demand for that. This is the state of affairs in the AC (I Class). You can very well

imagine what would be the situation in other classes. Nothing is available there. Railway bogies are in a shambles. You need a lot of funds for modernization, for security, for the safety of passengers. Ninety-eight per cent population of India travels by train. It is a necessity for the common man. Hon. Minister, Mr. Nitish Kumar, has a great responsibility on his shoulders. So far as accidents are concerned, I would come to it later on. But, here, I would only like to say that he must raise money. There is no question of showing any sympathy towards ticket-less passengers. Whosoever travels by train, he must pay. Therefore, laws, in this regard, have to be very stringent. I would like to suggest to the hon. Minister that it should be Rs. 500/-, or, the fare of the distance that he or she intended to travel. There, he can exercise his discretion. It could be Rs. 250 for everybody. It can be less for some people, or, it can be more for some people. But there has to be a rationale. I hope, he will consider this suggestion.

Then, I have not brought in the realm of this Bill, that is, the corruption that is there in the Railways. He must go into the causes of corruption. It is not only a question of ticketless travellers, but there are people who pay extra money to get reservations done. He must modernize Railways wholly and while doing so he must tackle corruption.

श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश) : धन्यवाद उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री जी छोटा सा किन्तु बहुत महत्वपूर्ण संशोधन लेकर आए हैं। भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा रेल तंत्र है जिसमें लगभग एक करोड़ लोग रोज़ाना यात्रा करते हैं और अगर पूरे साल का हिसाब किताब लगाया जाए तो लगभग यूरोप की आबादी के जितने लोगो को हमारी रेल ढोती है। लेकिन इतने बड़े तंत्र में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों को रोकने के लिए संविधान में जो प्रावधान रखे गए थे वे बढ़ती हुई महंगाई और हालात के चलते इतने कम पड़ गए कि उस जुर्माने का डर रेल में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों के मनो पर नहीं रहा। इसीलिए माननीय मंत्री जी धारा 137 और 138 के सब सैक्शन (3) का संशोधन लेकर यहां आए हैं। मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, बिना टिकट यात्रा करने वालों का जो ब्यौरा रेल विभाग से जारी हुआ है, उसमे लगभग हर साल 1 करोड़ 75 लाख लोग बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं। इनमे सबसे ज्यादा संख्या जो है, वह उत्तरी रेलवे की रहती है। ये वे लोग हैं जो असल मे पकड़े जाते हैं। इससे भी ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है जो पकड़ में नही आते हैं इसलिए असल संख्या इससे अधिक होने की संभावना है। किन्तु जिस तरीके से जुर्माना पचास रुपए से ढाई सौ रुपए करने का प्रावधान किया है, मैं माननीय मंत्री जी से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि एक ही बार में इसको पांच गुणा करना क्या उचित होगा क्योंकि जैसे मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि रेलवे मे जो भ्रष्टाचार है, उसे रोकने के लिए यह जरूरी है कि अधिक जुर्माना जो है, इसका निर्धारण ठीक तरीके से किया जाए। मेरा ऐसा

मानना है कि जब जुर्माने की रकम बढ़ेगी तो उससे रेलवे में भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। लोगों को लगेगा कि पहले पचास रुपये देकर छूटते थे, अब ढाई सौ रुपए देने पड़ेंगे। इस प्रकार उसका रेट भी ढाई सौ रुपये तक पहुंच जाएगा। इसलिए माननीय मंत्री जी को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसे विवेकपूर्ण करें। जुर्माना बढ़े लेकिन इतना अधिक न बढ़े क्योंकि जो बिना टिकट यात्रा करते हैं वे प्राय: गरीब लोग होते हैं इसलिए जुर्माना बढ़ाकर बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों को रोका भी जाए, लोगों में इसका डर भी हो लेकिन इतना जुर्माना न बढ़ाया जाए कि रेलवे में भ्रष्टाचार को बढ़ोत्तरी मिले। इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जब रेल में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या घटेगी, जुर्माने की रकम बढ़ेगी तो रेलवे को जो राजस्व प्राप्त होगा, कृपया उसे रेलवे में सुविधाएं जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैं मंत्री जी को अकसर पत्र लिखता हूं क्योंकि मैं रेल से आता हूं और जितनी बार रेल से आता हूं, आने के बाद एक पत्र माननीय रेल मंत्री जी को लिखता हूं जिसमें यात्रियों को होने वाली असुविधाओं के बारे में उनका ध्यान आकर्षित करता हूं ताकि उनके बारे में ठीक तरीके से प्रबंध किया जाए। जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि कई बार तो लोग मज़ाक में यह भी कह देते हैं कि हम बिना टिकट इसलिए भी सफ़र करते हैं कि पैसा खर्च करके कोई जोखिम क्यों ले। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Madam, the hon. Minister has brought forward this Bill to amend sections 137 and 138. Though it appears to be a small amendment, I would like to put some questions to the hon. Minister since it will have a lot of impact on the passengers who travel by trains.

Madam, there are two types of offenders. There are wilful offenders and habitual offenders. The railway authorities should concentrate on professional manipulators who collect money at one point and, then, help passengers in travelling without tickets in the trains. They are called wilful manipulators. These are the persons responsible for causing loss to the Railways. The Railway authorities should concentrate on such people. And, at times, while coming to station, there is every possibility of *bona fide* travellers, unknowingly, boarding a wrong train at wrong place. So, there should be some mention about the people who are travelling in a *bona fide* manner and there should be some differentiation between the wilful offenders and the habitual offenders. I want to know from the hon. Minister -- since for the past five years the number of ticketless passengers is increasing year after year -- what are the figures for the past five years? Are they on the increase or on the decrease? How much amount has been collected from them by way of fines? How many people have been sentenced to jail? How many people have been punished? I would also

like to know from the hon. Minister -- I am told that this matter had come up before the Standing Committee also -- whether they have deliberated on this issue, if so, the recommendations of the Standing Committee. Will these be looked into? And, finally, I would like to ask the hon. Minister to concentrate on amenities part also. While trying to improve the income of the Railways by enhancing the amount of fines, they should also concentrate on how to avoid accidents. With these words, I support the Bill.

SHRI TARINI KANTA ROY (West Bengal): Madam, while speaking on the Railways (Amendment) Bill, 2003, which has been brought forward to amend the Railways Act, 1989, I would like to raise some relevant points.

Madam, in the Statement of Objects and Reasons, it has been stated that "...proposed to increase the minimum penalty for ticketless travel specified in sub-section (3) of section 137 and sub-section (3) of section 138 from fifty rupees to two hundred and fifty rupees which was expected to minimize the inconvenience to the genuine passengers by deterring ticketless or irregular travellers." This concern for the genuine passengers is quite justified as there are a number of passengers who can afford rail fare but still travel without ticket, or, travel beyond authorized journey. These travellers create inconvenience for the genuine passengers and this should be stopped forthwith.

Though this step has been described as an effort to "... minimise the inconvenience to the genuine passengers by deterring ticketless or irregular travellers", the Ministry should ensure that genuine passengers are also not deprived of other amenities which they are entitled to while travelling. The Government should also keep in mind the fact that in our country a good number of people belong to the Below Poverty Line and cannot afford to buy rail tickets. Over the years, rail fares have also increased quite a lot, making it even more difficult for them to buy tickets. If the Ministry is really serious about it and wants to make more and more people buy rail tickets, rail fares should be reduced so that it remains within the reach of the poor. That would ensure more buyers for railway tickets and would reduce the number of passengers travelling without tickets. And, the Ministry should also ensure that the increase in penalty does not become an extra burden on the poor, ticketless travellers.

Without considering these aspects, I do not think the objective behind increasing the penalty would serve any purpose. With these few words, I conclude. Thank you, Madam.

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : माननीया उपसभापति जी, इसमें कोई संदेह नही कि बहुत ही छोटा सा विधेयक माननीय रेल मंत्री जी ने रखा है, लेकिन बहुत बड़ा विभाग है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। प्रश्न इस बात का उठता है कि हम जनता को क्या दे रहे हैं, किस ढंग से दे रहे हैं? पैनल्टी बढ़ा दी, यह सही बात है कि हम नही चाहते कि कोई बिना टिकट यात्रा करे। हम नही चाहते कि बिना किसी पास के कोई यात्रा करे, जिसके पास अथोराइज्ड पास न हो। लेकिन माननीय मंत्री जी आपने जनता की और यात्रियों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था की है? आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे देश में रेल मंत्री को दुर्घटना मंत्री कहने लगे हैं। एक वर्ष मे एक हजार से ज्यादा दुर्घटनाएं रेल में हुई हैं। कभी ऐसा नही हुआ है और न कभी आगे भगवान ऐसा करे, मैं यह कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। ठीक है, आप यह-ले आए और आपने 250 रुपये बढ़ा दिए, इसको हम मानते हैं, लेकिन इस पर तो कुछ विचार कीजिए कि कैसे ये दुर्घटनाएं रुकें। उसमे आप यह भी कहते हो कि ये दुर्घटनाएं अधिकतर ऐसी हैं जो कि मानवीय भूलों के कारण हो रही हैं, जो कि आपके कर्मचारियों और अधिकारियों के कारण हो रही हैं। दूसरी बात, जो बिना टिकट यात्रा करने का प्रश्न है, उसमे अगर आप अपनी इंटेलीजेंस को बढ़ायेंगे तो आप पायेंगे कि बिना टिकट यात्रा करने वालों मे आपके विभाग के अधिकारियों का कितना बड़ा हाथ रहता है। उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। पता चलता है कि यहां से मुंबई के टिकट खत्म हैं, अब कोई रिज़र्वेशन नही होगा। लेकिन ट्रेन मे सफर करते हैं तो डिब्बा खाली पड़ा है और रास्ते मे भरता चला जाता है। ये स्थितियां हैं। आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। जो गरीब यात्री है उनको तो आप 250 रुपये का जुर्माना करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप यह बात क्यों नहीं सोचते कि आपके अधिकारियों और कर्मचारियों के जरिए कितनी बिना टिकट यात्राएं की जाती हैं, इस पर तो जरा विचार कीजिए। आप किराया भी बढ़ाते चले जाते हैं। किराये आपने बहुत बढ़ा दिए, किराये बहुत हैं। आप इस पर भी विचार कीजिए जो कि हमारे साथियों ने और अभी माननीय सदस्य ने कहा है। आपको किराये के बारे मे भी सोचना पड़ेगा कि हमारे देश मे साधारण दर्जे के टिकट पर कितना पैसा बढ़ाया जाए, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। साथ ही, जो सुविधाओं का अभाव होता चला जा रहा है, उन सुविधाओं को भी आपको देखना पड़ेगा। सब से जरूरी बात तो यही है कि आप सुरक्षा की दृष्टि से जो भी कदम उठायेंगे, हम लोग उसका समर्थन करेंगे और वह बहुत जरूरी है, चूंकि अब आपको लोग दुर्घटना मंत्री कहने लगे हैं। धन्यवाद।

*SHRI S.S. CHANDRAN (Tamil Nadu): Madam, Deputy Chairperson, I rise to speak on the Railways Amendment Bill on behalf of AIADMK. In the Statement of Objects and Reasons, it is said that this Bill has been brought in fulfilment of the assurance given by the hon'ble Minister to Parliament. I am happy about this. At the same time I request the hon'ble

* English Translation of the original speech delivered in Tamil.

Minister to give me an assurance. Because, the hon'ble Minister always fulfils his assurance. Majority of the few routes in Tamil Nadu is still metre gauge. There are 63,000 train routes in India. But there are just a few routes in Tamil Nadu. The Chennai-Thanjavur route is still metre gauge. BG conversion of this lane is under consideration.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I must tell the Member, it is not a discussion on the Railway Budget; there is no discussion on Railways in general, either demands or whatever it is. This has very limited scope; If you are willing, you may say whether it should be 250 rupees or not. So, speak on that only. And how many people travel without ticket in Tamil Nadu?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Madam, sometime back I had been to Chennai. There, I had learnt to my great surprise that the Hon'ble Member is a leading humour-actor of the entire Tamil world.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know, he is.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: He is a very leading actor. Therefore, we would appreciate that in the course of his speech he could douse us too with some of his humour.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have to switch on your translation to hear the humour, because he is speaking in Tamil.

*SHRI S.S. CHANDRAN: Thank you very much, Mr. Minister for your good words. The hon'ble Information and Broadcasting Minister knows me because he came to Tamil Nadu and happened to see me there. The hon'ble Minster of State for Railways, Mr. A.K. Murthy is here. He also knows me well.

Madam, but everyone is at a loss to understand as to why the hon'ble Railway Minister had brought in this Bill proposing to increase penalty for ticketless travel to Rs.250. Even those who bought train tickets

* English Translation of the original speech delivered in Tamil.

paying money do not want to travel by train. Because every week there is accident. They rather prefer to travel by bus. When they travel by bus, train comes and hits the bus at the level crossing. This is the situation today. People prefer bus because, there is video show that comes up with movies in Tamil, English, Hindi and so on. But while travelling by train, no one knows when death will kiss him. I am not holding the hon'ble Minister responsible for this. Only the old tracks are responsible.

Madam, taking this opportunity, I wish to bring few points to the notice of the hon'ble Minister. In Thiruvarur district of Tamil Nadu, there is a rail line between Mannargudi and Needamangalam. Running of train has been stopped on this route for the last 25 years. This region is historically very important. When I visit Thanjavur, people ask me that I could not get this done even two years after becoming an M.P. So, I request the hon'ble Minister to restore train on this route. Otherwise it is difficult for me to go to Thanjavur. And I have to travel by bus, not by train. That is my difficulty. Mr. A.K. Murthy, who is shouldering the responsibilities of the Railway Minister, comes often to Tamil Nadu and keeps checking the track, striking it hard. He should also look into the demands of Tamil Nadu. There are 8 new-line projects, 8 doubling projects and 10 BG conversion projects pending in Tamil Nadu. But the allocation for Tamil Nadu for all the ongoing schemes is only Rs.261 crores. This is not sufficient. Out of the total length of 1912 Kms of metre gauge in Tamil Nadu, BG conversion is being taken up for a length of just 1280 Kms. For that also only Rs.92-89 crores has been allocated during the current year. I have to say all this now because we want more funds for Tamil Nadu.

Madam, charging Rs.250 for not possessing platform ticket will not be proper. You should look into this. I wanted to speak for a little more time. But the hon'ble Deputy Chairman has allotted only an hour for this Bill. The balance of shouting has to take place later. Even yesterday, during the cauvery waters issue, the Hon'ble Deputy Chairman said that we had turned it into a bazaar. This morning I saw a big bazaar, a super bazaar. Anyway, I am thankful to the hon'ble Deputy Chairman for giving me this time. I am also happy that the hon'ble Railway Minister is back in the Ministry for fulfiling the promises. I request him once again to take care of railway projects in Tamil Nadu. Madam, I feel happy that I am concluding my speech in three minutes. Thank you, Madam, once again for the opportunity.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. I wish you would have thought of it yesterday. Your speech is humorous. It is only for those people who do not die in an accident, that they have to pay. Now you are requesting for more railway lines. What will happen to them, either their safety, or their going without ticket and paying money?

प्रो0 राम देव भंडारी (बिहार) : उपसभापति महोदया, यह एक छोटा अमेंडमेंट है, जिसमें बिना टिकट यात्रा करने वालो को पेनल्टी के रूप में 50 रुपए के बदले 250 रुपए करने का प्रावधान है। महोदया, मैं अभी सुन रहा था, एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि गरीब लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं। ऐसी बात नही है। गरीब लोग जब भी बिना टिकट यात्रा करते हैं किसी न किसी प्रकार की मजबूरी होती है। जो बड़े ही घूर्त और चालाक लोग होते है, वे बिना टिकट यात्रा करते है। महोदया, ऐसे लोग भी हैं जो पेमेंट तो नॉन ए0 सी0 का करते हैं लेकिन सफर ए0 सी0 कोच में करते हैं। यह कैसे संभव है? सुनने मे यह थोड़ा सही नही लगता, मगर यह होता है और इसके पीछे रेलवे स्टाफ होता है, वह टी0 टी0 हो या दूसरा स्टाफ हो, उनकी मिलीभगत से ही यह संभव हो पाता है। बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए रेलवे के स्टाफ पर भी कड़ी नजर रखनी पड़ेगी और जैसा कौशिक जी कह रहे थे, रेलवे के अफसर या इम्प्लाइज हैं, वे तो टिकट लेते ही नही है, खास कर के अगर उन्हें छोटी दूरी की यात्रा करनी हो। इसलिए रेलवे मंत्री जी को इस बात पर ध्यान रखना होगा और अगर बिना टिकट यात्रा रोकनी है तो उन्हें स्टाफ पर भी नज़र रखनी होगी।

महोदया, इस वर्ष को हम उपभोक्ता संतुष्टि के रूप में मना रहे हैं। मैं विस्तार मे नहीं जाना चाहता लेकिन 10 महीनों मे 6 बड़ी दुर्घटनाओ में 280 लोग मारे गए। कुछ लोगो को दंडित किया गया है, मगर बड़े अधिकारी, जी0 एम0 हो या दूसरे बड़े अधिकारी, जब तक उन पर हम जवाबदेही नही फिक्स करेगे, उन्हे जिम्मेदार नही बनाएंगे, सिर्फ छोटे-छोटे कर्मचारियों को ही दंडित करेगे, दुर्घटनाएं रोकने मे काफी कठिनाई होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि बड़े अधिकारियों पर जिम्मेदारी फिक्स की जाए। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक दुर्घटना के सही कारणों का जांच के बाद पता नही चल जाता, तब तक किसी प्रकार का बयान न तो आपकी ओर से और न ही आपके बड़े अधिकारी की ओर से आना चाहिए - इसमें सेबोटेज़ हो गया है या इसमे छोटे इम्प्लाइज़ की जवाबदेही है। इस तरह के बयानों से जांच प्रभावित होती है। ग्राहक संतुष्टि वर्ष के रूप मे आप ग्राहको की कठिनाइयो को देखिए। मैंने भी एक-दो पत्र लिखे हैं। राजधानी एक्सप्रैस जैसी गाड़ियो में कभी-कभी गंदे तकिए, गंदी चद्दरे मिलती हैं। इस बारे मे ध्यान देना चाहिए।

रेलवे स्टेशनो पर पीने के पानी की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। कभी-कभी जब हम रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" (बिहार) : बिल पर बोलिए।

प्रो0 राम देव भंडारी : मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। मैं उनका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। उसमे कोई आलोचना की बात नही है। मैं पुन: इस निवेदन के साथ कि ग्राहको की सुविधा की ओर मंत्री महोदय ध्यान दे, अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश) : महोदया, उचित पास, बिना टिकट कपटपूर्ण यात्रा के लिए दंडस्वरूप "50 रुपए या निर्दिष्ट एक तरफ के साधारण किराये के बराबर की राशि, जो अधिक हो" के स्थान पर "250 रुपए या निर्दिष्ट एक तरफ के साधारण किराये के बराबर की राशि, जो अधिक हो", माननीय मंत्री जी यह संशोधन विधेयक लेकर आए हैं। हमारा निवेदन है कि इसमें पहले से ही प्रावधान था कि 50 रुपया या निर्दिष्ट किराया जो अधिक हो, दंड के रूप मे भरा जाए। मेरी राय मे जब अधिकतम वसूल करने की व्यवस्था थी, तो इसका बहुत ज्यादा औचित्य नही था। मैं उदाहरणस्वरूप बता रहा हूं कि मान लीजिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का किराया 10 रुपए है। अगर ट्रेन छूट रही हो और कोई आदमी टिकट नही ले पाया, उस समय चैकिंग हो गई तो 10 रुपए की जगह पर उसे 250 रुपए देने पड़ेगे यानी 25 गुना दंड उसे देना पड़ेगा जो उचित नहीं लगता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे सीधे 50 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए करना उचित नहीं लगता है। इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान देते हुए बढ़ाया जाता तो अच्छा रहता। इसके साथ ही साथ सामान्य प्रक्रिया मे यह देखने को मिलता है कि जो यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है, उससे विभाग ज्यादा वसूलता है लेकिन कागज मे कम दिखाता है। इसलिए इंस्पेक्टर राज को इसमे और बढ़ावा मिलेगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं और आशा करता हूं कि इस इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने के बजाय थोड़ा कंट्रोल किया जाए। इस प्रत्याशा के साथ मै इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अवनि राय (पश्चिमी बंगाल) : महोदया, माननीय मंत्री जी जो बिल लाए है, मैं इसका समर्थन करता हूं। पैनल्टी कुछ ज्यादा हो, इसमे कोई हर्ज नही है लेकिन 50 रुपए से सीधे 250 रुपए करना, यह बहुत ज्यादा लगता है। इसको थोड़ा कम किया जाए तो अच्छा है। दूसरी बात यह है कि इस विधेयक मे ऐसा भी लिखा है कि जिसके पास ठीक पास नही है, उसे दंडित किया जा सकता है। मंत्री जी, आप जानते हैं कि गाड़ी में रेलवे वालो के पास अक्सर पास होते हैं लेकिन वे 3-4 महीनो तक एक ही पास से चलते हैं। यह भी आपको देखना चाहिए कि अगर पास हो तो उसे ठीक ढंग से देखा जाए। जहां तक बिना टिकट यात्रा की बात है, ऐसी बहुत सी जगहे है जहां टिकट लेकर स्टेशन तक आने में समय लग जाता है। खास तौर से सब-अर्बन ट्रेन मे यह देखा जाता है कि उसमे आदमी झट से चढ़ जाते हैं और कभी-कभी पैसेजर ट्रेन कम होती हैं। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाए कि उनको टिकट लेने का मौका मिले।

महोदया, तीसरी बात यह है कि आपने यहां बिना टिकट यात्रा करने वालो के बारे मे कहा। आप जानते हैं कि राजधानी ट्रेन मे जिनके पास वेट-लिस्ट टिकट है, वे यात्रा कर सकते है। पहले उन पर 100 परसेंट पैनल्टी थी, वह भी ज्यादा थी। अब वेट-लिस्ट वाले भी यात्रा कर सकते हैं। अब चाहे वे वेट-लिस्ट वाले यात्री हो, चाहे पैनल्टी देकर यात्रा करने वाले यात्री हो, उनको बैठने की जगह या सोने की जगह तो देनी पड़ेगी। इसमे यह भी है कि जो छोटी, लोकल ट्रेन है, पैसेजर्स ट्रेन हैं उसमें तो यह हो सकता है। लेकिन जिसमे सोने का प्रबंध है या बैठने का प्रबंध है और हम पैनाल्टी लेकर उनको सफ़र करने का सार्टिफिकेट दे देते हैं तो अगर उनको बैठने की या सोने की जगह न दे या खाने की व्यवस्था उस ढंग से न हो तो मुश्किल बात है। यह अक्सर राजधानी एक्सप्रेस मे दिखाई दे रहा है

दूसरी बात, जो भंडारी जी कह चुके हैं कि रेलवे मे ऐसे बहुत पैसेजर्स हैं -आफिसर्स है या कर्मचारी है जिनके पास वैध पास नही होते हैं और वे भी सफर कर लेते है। कभी-कभी

ऐसा भी होता है कि इंफल्युअंसल आदमी भी रेलवे में सफर करते हैं उनके पास टिकट भी नही होता है या आर्डनरी क्लास का टिकट हो तो वे ए0 सी0 में चले जाते हैं। इससे दूसरे लोगों को तकलीफ होती है। अब जहां बात रही बिना टिकट के तो अब मैं किसी स्टेट का नाम तो नहीं लूंगा लेकिन सबसे ज्यादा जहां है वहां देखना मुश्किल है। अगर उनसे टिकट मांगें तो चैकर के साथ तो मारपीट हो जाए। अब उसको हम कैसे रोके? वह भी देखना पड़ेगा कि हमने तो पेनाल्टी चार्ज कर दिया। लेकिन जो पैनाल्टी चार्ज करेगे उनके साथ तो मारपीट हो जाएगी तथा उसको तो गाड़ी के बाहर फैंक दिया जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान देते हुए मेरा ख्याल है कि 50 रुपए से बढ़ाकर एकदम 250 रुपए करना कुछ ज्यादा ही महसूस होता है। तो अच्छा हो यह 100 हो, 150 हो। इसमें थोड़ी रियायत की जाए। यह भी देखना चाहिए कि समुचित प्रबंध किया जाए जो भी लोग ट्रेन मे सफर कर रहे हैं। यह चार्ज बढ़ना तो चाहिए, आप बढ़ाइए। हमें खुशी है। लेकिन इस ढंग से बढ़ाइए कि दूसरों को तकलीफ न हो।

डा0 अबरार अहमद (राजस्थान) : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यहां 50 रुपए से 250 रुपए जुर्माने के कर रहे हैं। यह 250 रुपए हो, 500 रुपए हो या 50 रुपए हो मेरी दृष्टि से यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि जो भी यात्री बिना टिकट चल रहा है उससे आप कितना पैसा वसूलेंगे। आज की तारीख में जितने लोग विदाउट टिकट चलते हैं मुश्किल से आप 10 परसेंट लोगों से पैसा वसूल पाते हैं। उसके बाद भी 90 परसेट डब्ल्यू0 टी0 चलते हैं और उनसे रेलवे पैसा वसूल नही पाती। कारण उसमें चाहे दादागिरी का हो, कारण उसमें चाहे रेलवे के स्टाफ के भ्रष्टाचार का हो या कोई अन्य कारण हो। तो जितने लोग विदाउट टिकट चलते हैं उन सबसे कैसे पैसा वसूला जाए ओर कितना वसूलते हैं यह अलग बात है। लेकिन क्या आप इसके लिए व्यवस्था करेंगे जिससे प्रत्येक डब्ल्यू0 टी0 चलने वाले से आप जुर्माना वसूल कर सके चाहे वह बिहार के सूबे में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के सूबे मे हो, चाहे वह जबर्दस्ती चढ़ करके जाने वाले हो, क्या आप इसके लिए रेलवे गार्ड बढ़ाएंगे, क्या आप इसके लिए अलग से जी0 आर0 पी0 में कुछ करेंगे या अपनी पैट्रोलिंग की व्यवस्था बढ़ाएंगे? यह बहुत आवश्यक है। दूसरी बात जो अभी माननीय सदस्यो ने कही कि उसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण देखना पड़ेगा कि बहुत सी जगह जहां ट्रेन रुकती तो है लेकिन वहां टिकट नही दिया जाता, वहां टिकट नहीं काटे जाते। बोम्बे सुपर फास्ट जो मुम्बई से जयपुर तक आती है वह सवाई माधोपुर रुकती है। लेकिन सवाई माधोपुर से जयपुर का टिकट नही मिलता। बहुत से लोग उसमे जाना चाहते हैं, मजबूरी मे उसमें उनको बैठना पड़ता है। तो या तो ट्रेन नही रोकें और अगर ट्रेन रोकते हैं तो कम से कम वहां टिकट देने की व्यवस्था हो। तो वहां आदमी इस प्रकार से रुकी हुई ट्रेन मे नही बैठे इस बात को देखना होगा। बहुत सी जगह गाडी जाने के आधे घंटे पहले टिकट खिड़की खुलती है, दूरी बहुत थोड़ी-थोड़ी होती है और बड़ी लम्बी कतार लग जाती है, ट्रेन आती है और तुरंत जाने वाली होती है और सही कहा कि अगर कही का टिकट 10 रुपए का है और मजबूरी मे हमारी गलती की वजह से ट्रेन सीटी दे रही है और जा रही है और टिकट खिड़की पर लाईन लम्बी है और वह टिकट नही ले पा रहा है वह गरीब आदमी है, गरीब किसान है और मजबूरी मे वह ट्रेन में चढ़ जाता है और 10 रुपए की जगह अगर उसको 500 रुपए देने पड़े तो जुर्माना लिया जाना चाहिए। लेकिन 10 की जगह 50 हो, 5 गुना किराया हो जहां छोटी दूरी की हो। लेकिन 10 की जगह 250 रुपए एक बहुत ही अव्यवस्था वाली बात है, यह एक अव्यवहारिक बात है। मैं आपको एक

सुझाव भी देना चाहूंगा कि इसके अंदर जितना अवेयरनेस कार्यक्रम आप चला सकें कि लोग डब्ल्यू0टी0 नहीं चलें वह भी होना चाहिए क्योंकि अवेयरनैस के कोई कार्यक्रम रेलवे की तरफ से नहीं चल रहे हैं। दुर्घटनाओं के बारे में माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। वास्तव में यह एक चिंता का विषय है। इसके बारे में जो उत्तर आता है उसके अंदर यह कहा जाता है कि जांच की जा रही है। हर मामले की जांच की जाती है। मेरा सुझाव है कि जांच टाइम बाउंड होनी चाहिए। उसमें जो भी उत्तरदायी ठहराया जाये उसको सजा मिलनी चाहिए। एक दुर्घटना होती है और उसकी जांच एक साल, दो साल, चार साल तक चलती है और उसके बारे में पता नहीं लग पाता है कि क्या उस पर कार्यवाही हुई। जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनकी टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए। जो उसमें उत्तरदायी ठहराया जाये, उसको सजा मिले। मैडम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : मैडम, मुझे मंत्री जी से कहना है कि आप पैसा कम करो या ज्यादा करो, लेकिन जो बगैर टिकट पकड़ा जाये उसे दो बार रेल का खाना खिला दो। वह अपने आप ही बगैर टिकट जाना बंद कर देगा।

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम) : मैडम, मैं...।

उपसभापति : अभी आप मंत्री हैं। आप मत बोलिए।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम, मैं एक ह्यूमर सुनाना चाहता हूं। एक स्टेशन पर तीन डिब्बों की रेल गाड़ी खड़ी थी। बड़ी सुंदर देखने में, तीनों डिब्बे एयर कंडीशन्ड और देखने में कोई फर्क नहीं। लेकिन एक पर लिखा फर्स्ट क्लास, एक पर सेकेंड क्लास और एक पर थर्ड क्लास। एक आदमी आया, उसने पूछा जब सब डिब्बे एक से हैं तो रेल गाड़ी पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्यों लिखा हुआ है। किराये के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि किराये में भी फर्क है। उसने पूछा ऐसा क्यों है, तो उसे कहा गया कि आप बैठ कर देख लीजिए। आपको पता लग जायेगा। वह थर्ड क्लास में टिकट लेकर बैठ गया। जब गाड़ी चली और चढ़ाई पर पहुंची तो रेल गाड़ी रूक गई। टीटीई ने कहा कि फर्स्ट क्लास के यात्री बैठे रहें, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास के यात्री नीचे उतर आयें। उसके बाद बोला कि सेकेंड क्लास के खड़े रहे और थर्ड क्लास के धक्का लगवा दे।

THE DEPUTY CHAIRMAN : That's a good one, अगर ऐसे ही कुछ न कुछ ह्यूमर हाउस में हो तो काम हल्का हो जाता है। मंत्री जी बोलिए।

श्री नीतीश कुमार : मैडम, ह्यूमर होना चाहिए, रयूमर नहीं होना चाहिए।

उपसभापति : बिल्कुल करेक्ट।

श्री नीतीश कुमार : मैडम, संघ प्रिय गौतम जी को कहां पर इसका अनुभव हुआ है। यह मुझे पता नहीं है। अब यह पता नहीं रेल की जगह पर बस सोच रहे होंगे। ...**(व्यवधान)**...

मैडम, जो विषय है, मैं उसके संबंध में ही कुछ कहना चाहूंगा। विषय से बाहर जाकर कई माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, उसका उत्तर इस बिल पर हुई चर्चा के सिलसिले में, शायद समय का ठीक ढंग से सदुपयोग नहीं होगा। क्योंकि अगर सदस्य दुर्घटना पर चर्चा चाहते हैं तो इसके बाद ही एक क्लेरिफिकेशन है। क्लेरिफिकेशन हो या अलग से कोई चर्चा सदन में होती है तो उसमें सारी बातें कही जा सकती हैं। वैसे कौशिक जी की जो इच्छा, ये नाम दे दें, उनकी मर्जी। जब बहस होगी तो आंकड़े भी दिये जायेंगे। कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं और कैसे दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए मैं उस विषय को छूना नहीं चाहूंगा।

यह विधेयक जो लाया गया है, इसके बारे में कई सदस्यों ने कहा कि इससे गरीब लोगों को बड़ा कष्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यह लोगों ने मान लिया है कि गरीब लोग बिना टिकट चलते हैं। मेरी समझ ऐसी नहीं है कि गरीब लोग बिना टिकट चलते हैं। गरीब लोगों से ज्यादा टिकट लेकर चलने वाले कोई दूसरे हैं ही नहीं । लेकिन यह दिमाग में भ्रांति आ जाती है कि गरीब लोगों को इससे कष्ट होगा। ऐसा नहीं है। गरीब लोगों को कष्ट नहीं होगा। यह बहुत पहले से ही रेलवे एक्ट में प्रोविजन है। जो 137-138 धारा है, उसमें इसका प्रबंध किया गया है। जो लोग या तो बिना टिकट यात्रा करें, अनियमित यात्रा करें, उस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए जो अधिकार दिये गये हैं, वे धारा 137-138 में दिये गये हैं। उसमें कुछ सब सैक्शन्स हैं। उसके सब सैक्शन तीन में हम संशोधन कर रहे हैं। उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है, उदाहरण के लिए मान लीजिए, कोई अगर बिना टिकट यात्रा कर रहा है, वह अगर पकड़ा जाता है बिना टिकट की यात्रा में तो उसको जहां से उसने यात्रा की है, उसका फेयर देना पड़ेगा और उसके अलावा पेनल्टी के तौर पर, एक्सेस चार्ज एक्ट में कहा गया है, जितना फेयर है उसके बराबर उसको देना पड़ेगा या पचास रुपया, अभी तक का जो प्रावीजन है, दोनों में से जो ज्यादा हो। एक्सेस चार्ज को हम लोग समझ सकते हैं कि यह पेनल्टी है, पेनल्टी कितनी हो या तो पचास रुपये या फेयर के बराबर - दोनों में से जो भी ज्यादा हो, यह प्रावधान है। यह संशोधन सिर्फ इतना है कि पचास रुपये की जगह हम 250 रुपये कर रहे हैं। आप कहेंगे कि एक ही बार इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? हुआ यह है कि धीरे धीरे, जब का यह ऐक्ट है, तब से लेकर फेयर रिवीज़न हुआ है और देखा यह जाता है कि शॉर्ट डिसटेंस में, कम दूरी में, जहां पचास रुपये से कम भाड़ा है, वहां बिना टिकट यात्रा करने वालों की प्रवृत्ति कुछ ऐसी रहती है कि पचास ही रुपया तो लगना है। उस हालत को रोकने के लिए कि अब जब 250 रुपया लगने लगेगा तो वह deterrent का काम करेगा। एक तो उद्देश्य यह है। लॉंग डिसटेंस का जहां तक सवाल है, उसको डील करने के लिए 250 रुपए नहीं, 250 से भी अधिक है। इसके अतिरिक्त इसमें कई बातें कही गयी हैं। कहा गया कि खिड़की देर से खुलती है। इंस्ट्रक्शन दिये गये हैं, खिड़कियां पहले खुलती हैं। दूसरा, जो अनरिजर्व्ड डिब्बों में यात्रा करने वाले लोग हैं, उनके लिए आपको स्मरण होगा, हमने बजट में ही प्रस्ताव रखा है, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम हमने इंट्रोड्यूज़ किया है। जो रिजर्वेशन कराते हैं, अब केवल उनके लिए ही ऐडवांस बुकिंग नहीं है बल्कि जो अनरिजर्व्ड यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। अभी तक का प्रोवीज़न यही है कि जिस स्टेशन से यात्रा करनी हो, उस स्टेशन से ही आपको टिकट लेनी होगी। अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम में, अब जिस स्टेशन से यात्रा करनी हो, वहां से टिकट नहीं लेना है, दूसरी जगह से भी आप टिकट ले सकते हैं, उसके लिए कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ये टिकट ऐडवांस में ले सकते हैं। इस प्रकार के प्रोवीज़न के साथ एक अनरिजर्व्ड

टिकटिंग सिस्टम हम इंट्रोड्यूज़ कर रहे हैं। दिल्ली मे पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर पिछले साल उसको लागू किया गया, वह सफल रहा है। अब कई इलाकों में, खास करके जिनमें पैसेंजर्स की सबसे अधिक भीड़-भाड़ है, उनमे लागू करने का विचार है - नॉदर्न रेलवे में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे मे, ईस्ट सैंट्रल रेलवे मे, ईस्टर्न रेलवे मे – एक पट्टी मे उसको लागू करने का विचार है, उस पर काम चल रहा है। धीरे धीरे जब यह पूरे सिस्टम मे लागू हो जाएगा तब वह समस्या नही रहेगी। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं। सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन अगर बिना टिकट यात्रा करने से ट्रेन मे ओवर क्राउडिंग होती है तो जो टिकट लेकर चल रहा है, उसी के साथ ही तो अन्याय हो रहा है, इसलिए इसको रोकना होगा। कतिपय माननीय सदस्यो ने कहा कि इसको इनफोर्स कैसे किया जाएगा? जैसे अब तक इनफोर्स किया जा रहा है। अवनि राय जी पता नही किस राज्य के बारे मे कहना चाह रहे थे लेकिन जिस तरह से हंसकर वे बोल रहे थे, उनका इशारा अगर मैं जिस राज्य से आता हूं, उसकी तरफ है तो शायद आपको निराशा हाथ लगेगी क्योकि वहां बिना टिकट यात्रा करने वालो की संख्या मे कमी आ रही है। आपके लिए शुभ समाचार है। अगर आपका इशारा हम लोगों की तरफ होगा तो उसमे थोड़ी निराशा आपको हाथ लगेगी। ऐसा नही है...**(व्यवधान)**...

श्री अवनि राय : सवाल आपकी या हमारी स्टेट का नही है, बहुत सारी स्टेट्स हैं।

श्री नीतीश कुमार : रही बात इसके ऊपर कार्यवाही करने की तो कार्यवाही करने का ही प्रोवीजन है। यह बात सही है कि कई बार वे लोग, जिनको चैक करना है, उनके संबंध मे भी अनऑथोराइज्ड ट्रैवल की शिकायते मिलती हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होती है। टिकटलैस ट्रैवलिंग के खिलाफ तो ड्राइव चलाया जाता है। एक तो जो टीटी होता है, वह चैक करता रहता है लेकिन कभी कभी कुछ इलाकों में – जहां के बारे मे ज्यादा शिकायत रहती है कि यहां के लोग बिना टिकट ज्यादा यात्रा कर रहे हैं, उसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है – अभियान चलाया जाता है। आप अगर देखेंगे, हमने देखा है, एक माननीय सदस्य ने इस संबंध मे पूछा भी है। 1998-99 मे हम लोगो ने कितने चैक्स कंडक्ट किए? मैं बताना चाहता हूं कि 12 लाख 12 हजार चैक्स कंडक्ट किए। 2002-03 में हम लोगो ने 13 लाख 22 हजार चैक्स कंडक्ट किए। यानी हर साल हम यह ड्राइव चलाते हैं। अगर आप देखे कि कितने केस डिटैक्ट हुए और अगर आप अमाउंट रियलाइज्ड देखे कि इस प्रकार के ड्राइव से कितने पैसे की वसूली हुई तो उस संबंध मे मैं बताना चाहूंगा कि 1998-99 मे 148 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की वसूली हुई। 1999-2000 मे 163 करोड़ से ज्यादा वसूली हुई, 2000-2001 मे 179 करोड़ रुपए के लगभग वसूल हुए, 2001-2002 मे 198 करोड़ से ज्यादा वसूल हुए और 2002-2003 मे 220 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूल हुए। इस प्रकार से ड्राइव चलाए जाते हैं, रुपए की वसूली होती है, लोग पकड़े जाते हैं। यह एक deterrent के तौर पर काम करेगा। लोगो को लगेगा कि 250 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा इसलिए टिकट कटाएंगे। ऐसा एक प्रयत्न है। इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। यही नही, केवल बिना टिकट यात्रा करने वाले थोड़े ही हैं, एक डिसटेंस तक जाना है किन्तु वे उससे आगे जा रहे हैं। सारी परिस्थितियो से निपटने के लिए उपाय हैं। इसके लिए जो प्रावधान हैं, दोनो इनेबलिंग प्रोविजन हैं, रेलवे के कर्मचारियो को इसके खिलाफ कार्रवाई करने का जो अधिकार है उसमे थोड़ी सी बढ़ोत्तरी हुई है। यह शुरू से पचास रुपए था, अब इसे बढ़ाकर दो सौ पचास रुपए किया जा रहा है। 1999 मे भी, रेल बजट भाषण के दौरान

ही हमने यह आश्वासन दिया था और उसी सिलसिले में उसका अनुपालन भी हो रहा है। आपने जो सुझाव दिए हैं कि लोगों को और ज्यादा सुविधाएं कैसे दी जाएं, तो यह तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बजट के दौरान भी हम हर साल नई चीजों की घोषणाएं करते हैं। बीच में जब भी रेलवे पर चर्चा होती है, उसकी अनुपूरक मांगों पर चर्चा होती है, उसके दौरान भी हम कई सुविधाओं की घोषणा करते हैं। अभी पैसेन्जर्स की सुविधा के लिए रिफण्ड को आसान किया गया है। इसका ऐलान अभी किया गया है। इस प्रकार से कई प्रकार की सुविधाएं यात्रियों को दी जाती हैं। यह एक प्रकार से जो यात्री प्रोपर टिकट लेकर यात्रा करते हैं उनकी यात्रा को सुगम बनाने का ही एक प्रयत्न है। बाकी विषयों पर जब प्रोपर डिबेट होगी उस समय मैं सारे तथ्यों के साथ, मेरे पास जो भी जानकारी होगी, पूरी बात रखना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस माननीय सदन से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को मंजूरी दें।

उपसभापति : वे लोग जो चेन खींच देते हैं क्या उनका भी आपने कुछ बढ़ाया है? यह 85 रुपए है। I am just asking for my information.

श्री नीतीश कुमार : नहीं, उसमें नहीं किया है।

उपसभापति : उसमें नहीं किया है। Now, I shall put the motion to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Railways Act, 1989, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI NITISH KUMAR: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. We saved three minutes. It is still not 3 o'clock. We could not take up the Special Mentions during pre-lunchtime because you didn't want. I have got the Special Mentions. So, I will call them. I have got 28 Special Mentions. I think, from now till 4 o'clock we will be able to finish them. Dr. Dasari Narayana Rao. Those who are not there, their Special Mentions will be taken up later. Shri P. Prabhakar Reddy.